क्रम-संख्या–22 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025

माघ 18, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग–2

संख्या 41 / 46-2–2025-71-88
लखनऊ, 7 फरवरी, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–12

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 122 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उक्त धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या यू0ओ0–402(2) / 12–सी–1–76, दिनांक 6 अगस्त,1977 द्वारा गठित प्राधिकारी, एतदद्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं,अर्थात :–

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 50 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988, (जिसे आगे "उक्त विनियमावली" कहा गया है), में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान विनियम 50 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
50(1) किसी विनियम में निहित उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई कर्मचारी जो उसे सौंपी गई ड्यूटी का उल्लंघन करता है या जिसे किसी आपराधिक अपराध या अधिनियम की धारा 103 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो या कोई कार्य करता हो, जिसे इस विनियमावली द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक द्वारा दण्डित किया जा सकेगाः–	50(1) किसी विनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई कर्मचारी जो उसे सौंपी गई ड्यूटी का उल्लंघन करता है या जिसे किसी आपराधिक अपराध या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम,1965(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 1966) की धारा 103 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो या कोई कार्य करता हो, जिसे इस विनियमावली द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इनमें से किसी भी शास्ति से दण्डित किया जा सकेगाः–
(क) परिनिन्दा;	(क) परिनिन्दा;
(ख) वेतनवृद्धि या पदोन्नति का रोका जाना;	(ख) वेतनवृद्धि या पदोन्नति का रोका जाना;
(ग) कर्मचारी के आचरण द्वारा संघ, मिल, आसवनी इकाई या अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान को हुई किसी आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः पूरा करने के लिए वेतन या प्रतिभूति जमा से वसूली;	(ग) कर्मचारी के आचरण द्वारा संघ, मिल, आसवनी इकाई या किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान को हुई किसी आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः पूरा करने के लिए वेतन या प्रतिभूति जमा से वसूली;
(घ)कर्मचारी द्वारा मौलिक रूप से धृत पद या श्रेणी (ग्रेड) में अवनति;	(घ) कर्मचारी द्वारा मौलिक रूप से धृत पद या श्रेणी (ग्रेड) में अवनति;
(ङ) सेवा से हटाया जाना; या	(ङ) सेवा से हटाया जाना; या
(च) सेवा से पदच्युति।	(च) सेवा से पदच्युति।
(2) दण्डादेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को निरपवाद रूप से दी जायेगी और इस आशय की प्रविष्टि कर्मचारी के सेवा अभिलेख में की जायेगी।	(2) दण्डादेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को निरपवाद रूप से दी जायेगी और इस आशय की प्रविष्टि कर्मचारी के सेवा अभिलेख में की जायेगी।
(3)(क) आरोप–पत्र कर्मचारी को अपराध की गम्भीरता के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दण्ड दिया जायेगा परन्तु खण्ड (1) के उप खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन कोई शास्ति अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना आरोपित नहीं की जायेगी।	**(3)(क)** आरोप–पत्र कर्मचारी को अपराध की गम्भीरता के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दण्ड दिया जायेगा : परन्तु यह कि उपविनियम (1) के खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन कोई शास्ति अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना आरोपित नहीं की जायेगी।
(ख) नियुक्ति प्राधिकारी वेतनवृद्धि रोकने के लिए आदेश पारित करते समय उस अवधि का लिखित रूप में उल्लेख करेगा जिसके लिए वह रोकी जाय और यह भी उल्लिखित करेगा कि क्या उसका प्रभाव भावी वेतनवृद्धि या पदोन्नति को स्थगित करना होगा।	(ख) नियुक्ति प्राधिकारी वेतनवृद्धि रोकने के लिए आदेश पारित करते समय उस अवधि का लिखित रूप में उल्लेख करेगा जिसके लिए वह रोकी जाय और यह भी उल्लिखित करेगा कि क्या उसका प्रभाव भावी वेतनवृद्धि या पदोन्नति को स्थगित करना होगा।

3–उक्त विनियमावली में, विनियम 51 के उप–विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम बढ़ा दिए जाएंगे, अर्थातः– विनियम 51 का संशोधन

"(5) सेवानिवृत्ति के दिनांक पर कर्मचारियों के विरुद्ध प्रवृत्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी तथा उसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया जायेगा और ऐसे मामलों में अन्तर्वलित वित्तीय हानि नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारी के सेवानिवृत्ति देयक से वसूल किया जा सकेगा।

(6) इस विनियमावली के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11,1966) की धारा 64, 65, 68 एवं 92 के अधीन संघ के कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली कोई भी कार्यवाही,यथा आवश्यकता, वर्जित नही होगी।"

4–उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 53 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :– विनियम 53 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
कोई अपील, उस दिनांक से जब कर्मचारी उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रति प्राप्त हो, 30 दिन की अवधि के भीतर वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।	कोई अपील, उस दिनांक से जब कर्मचारी उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रति प्राप्त हो, 30 दिन की अवधि के भीतर 'प्राधिकारी' को प्रस्तुत की जायेगी।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/प्राधिकारी,
उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 41/46-2-2025-71–88, dated February 7, 2025:

No. 41/46/-2-2025-71–88

Dated Lucknow, *February* 7, 2025

IN exercise of the powers under section 122 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Authority constituted *vide* Notification no. U.O.-402(2)/12-C-1-76 dated 6th August, 1977 under sub-section (1) of the said section 122, with the approval of the State Government, hereby makes the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Limited Employees Service Regulations, 1988, namely:-

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LIMITED EMPLOYEES SERVICE (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Limited Employees Service (Fourth Amendment) Regulations, 2024. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette.*

2. In the Uttar Pradesh Co-operative Sugar Factories Federation Limited Employees Service Regulations, 1988 (hereinafter referred to as the "said regulations"), *for* the existing regulation 50 set out in Column-I below, the regulation as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of regulation 50

COLUMN-I *Existing regulation*	COLUMN-II *Regulation as hereby substituted*
50(1)Without prejudice to the provisions contained in any regulation, an employee who commits a breach of duty enjoined upon him or has been convicted for a criminal offence or an offence under section 103 of the Act or does anything which is prohibited by these regulations, shall be liable to be punished by the Appointing Authority with any of the following penalties:- (a)Censure, (b) Withholding of increment or promotion, (c) Recovery from pay or security deposit to compensate in whole or in part any pecuniary loss caused to the Federation, Factory, Distillery unit or any other Commercial establishment by the employee's conduct, (d) Reduction in rank or grade hold substantively by the employee's (e) Removal from service, or (f) Dismissal from service. (2) Copy of the order of punishment shall invariably be given to the employee concerned and entry to this effect shall be made in the service record of the employee. (3) (a) A charge-sheeted employee shall be award punishment by the appointing authority according to the seriousness of the offence, provided that no penalty under sub-clauses (d), (e) and (*f*) of clause (1) shall be imposed without recourse to disciplinary proceedings. (b) The appointing authority while passing orders for stoppage of increment shall state in writing the period for which it is stopped and whether it shall have effect of postponing future increment or promotion.	50(1) Without prejudice to the provisions contained in any regulation, an employee who commits a breach of duty enjoined upon him or has been convicted of a criminal offence or an offence under section 103 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) or does anything which is prohibited by these regulations, shall be liable to be punished by the Appointing Authority with any of these penalties:- (a) censure; (b) withholding of increment or promotion; (c) recovery from pay or security deposit to compensate in whole or in part any pecuniary loss caused to the Federation, Factory, Distillery unit or any other Commercial establishment by the employee's conduct; (d) reduction in rank or grade held substantively by the employee; (e) removal from service; or (f) dismissal from service. (2) Copy of the order of punishment shall invariably be given to the employee concerned and entry to this effect shall be made in the service record of the employee. (3) (a) A charge-sheeted employee shall be awarded punishment by the Appointing Authority according to the seriousness of the offence: Provided that no penalty under clauses (d), (e) and (*f*) of sub-regulation (1) shall be imposed without recourse to disciplinary proceedings. (b) The Appointing Authority, while passing orders for stoppage of increment, shall state in writing, the period for which it is stopped and whether it shall have the effect of postponing future increment or promotion.

Amendment of regulation 51

3. In the said regulations, *after* sub-regulation (4) of regulation 51, the following sub-regulations shall be *inserted,* namely:-

"(5) Disciplinary proceedings in force against the employees on the date of their retirement shall not be affected and shall be brought to a logical conclusion and the financial loss involved in such cases may be recovered from the retiring dues of the employee concerned as per rules.

(6) Notwithstanding anything contained in these regulations, any action which may be taken against employees of the Federation under sections 64, 65, 68 and 92 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966), as required, shall not be barred."

4. In the said regulations, *for* the existing regulation 53 set out in Column-I below, the regulation as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:- Amendment of regulation 53

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing regulation	*Regulation as hereby substituted*
53. An appeal shall be to the Superior Authority within a period of 30 days from the date on which the employee receives a copy of the order appealed against.	53. An appeal **shall be preferred to the Authority** within a period of 30 days from the date on which the employee receives a copy of the order, appealed against.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.
Authority,
Uttar Pradesh co-operative Sugar Factories
Federation Limited Lucknow.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 506 राजपत्र–2025–(1288)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 चीनी उद्योग–2025–(1289)–400 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

506 RPH (Niyamawali-Cheeni Uddyog)Anu.-2, 2025 Data 4E